App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही मुकाम सिरोही

चैलेंजर

बनाम कर्मीचंद

किस्म मुकदमा राजस्व सं. 212 R.T.Act राजस्व सं. 246/2016

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
दिनांक 11-6-2018	आज सहायक कलेक्टर राज्य सरकार के आदेशानुसार विधायकों/राजस्व अधिकारियों का शीघ्र निस्तारण कर अधिकारों के वाद प्रकरणों की हदिर से अन्य कार्यवाही सुरक्षित सि. 2018 के राजस्व अपील संख्या 246/2016 से वादी श्री कर्मीचंद सिलावट से पेश हुई प्रार्थीगण व अभिभाषक प्रार्थी श्री रतिलाल व अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित हुए। से श्री अ. अभि. प्रार्थी द्वारा बहसलीमपद सिरोही द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उभयपक्ष मनन किया। प्रार्थीगण वाद दायर कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार खातेदार होने तथा मौके पर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने से मामला प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया तथा अधिपत्य से है। होता है। प्रार्थीगण सं. 1 से 3 तक ने दि. 6-1-2017 को अंतिम खातिर से लेकर अभी तक जवाब पेश नहीं किया है। अब की तामील के पश्चात 90 दिन की समयावधि में जवाब पेश करना आवश्यक होने से समयावधि में जवाब पेश नहीं करने तथा समय दिया जाने से प्रार्थी सं. 1 से उत्तर का जवाब	

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page

बंदोबस्त अपील श्री विस्तृत निर्णय
मेरे द्वारा दिनांक देने के बाद
निर्णय की प्रति अभिलेख हेतु
फर्द निर्णय देखने के बाद सही
होने से निर्णय पर हस्ताक्षर कर
बदनाम व ख्याशाम की गोल
मुहर से जारी कर श्रवण किया
निर्णय का नकल अन्य किसी कोई वाद
सेवा केन्द्र जिलाधिकारी को भाग
में सुनाया। पत्रावली रोजनामचा शुमार
होकर अंबार में रक्खी जावे।

11/6/18
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)